संख्या:-75/2018/2685/33-3-2018-294/2016

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2018**

विषयः- पंचायतीराज विभाग में जनपद-कन्नौज में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3/552/2018-3/04/2016 दिनांक 17.08.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग में जनपद-कन्नौज में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू. 1638.40 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू. 801.72 लाख लागत आंकलित की गयी है। पूर्व में शासनादेश संख्या- 101/2016/3029/33-3-2016-294/2016 दिनांक 15.12.2016 द्वारा जनपद-कन्नौज में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन द्वारा आंकलित रू. 801.72 लाख के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि की प्रथम किश्त रू. 200.43 लाख आहरित कर व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित की गयी लागत रू. 801.72 लाख के सापेक्ष 25 प्रतिशत की द्वितीय किश्त की धनराशि रू. 200.43 लाख को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत 01 प्रतिशत धनराशि जो जिला पंचायत, लखनऊ के पी.एल.ए. में रखी गयी है में से आहरित कर व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

2. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. प्रायोजना का गठन विस्तृत विवरण के आधार पर वर्ष 2015 की अनुसूची दरों पर किया गया है। तद्नुसार प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5. प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

6. इस धनराशि का व्यय उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगीए जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

8. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018-19 की अवधि में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि आहरित कर व्यय करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और

http://shasnadesh.up.nic.in

वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11. शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

12. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंबटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

13. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

14. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

15. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. जिलाधिकारी, कन्नौज।
4. उप निदेशक(पं0), कानपुर मण्डल, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम,उ0प्र0 लखनऊ।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, कन्नौज।
7. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in